न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या : 170/2024

प्रार्थीगण

01. चम्पालाल पुत्र धनराज उम्र 50 वर्ष जाति सोनी निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

01. खेतदान पुत्र केसूदान
02. सुरजकंवर पत्नी केसूदान
03. हमीरदान पुत्र पीरदान
04. गोपालदान पुत्र वियजदान
05. हिंगलाजदान पुत्र विजयदान
06. जबरदान पुत्र विजयदान
07. दशरतदान पुत्र विजयदान
08. धापुकंवार पत्नी विजयदान
09. नरपदान पुत्र विजयदान
10. भरतदान पुत्र विजयदान
11. भंवरदान पुत्र विजयदान
12. सोमदान पुत्र विजयदान
13. हड़मतदान पुत्र विजयदान जाति चारण निवासी आकली तहसील धोरीमन्ना
14. सविता पत्नी विक्रम प्रताप जाति विश्नोई निवासी गोदारों की ढाणी गांधवकला तहसील गुड़मालानी जिला बाड़मेर।
15. तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 04.12.2023

अधिवक्ता :— 1. श्री हापूराम, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री रिड़मलराम चौधरी, अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 03

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 07.08.2024

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हापूराम द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 104/39, 113/103 क्षेत्रफल क्रमशः 0.9712, 1.4570 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम ग्राम आकली पटवार हल्का बोरचारणान तहसील धोरीमन्ना मे अया हुआ है [illegible] चालु जमाबन्दी संलग्न पेश है प्रार्थी की उपरोक्त भुमि के सेढ़ा—सेढ़ ही विप्रा[illegible] की भूमि आई हुई है। कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खसरो के बीच [illegible] की मार्के तथा सीमा चिन्ह नही होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच [illegible] एवं अन्य प्राकृतिक पैदा[illegible] खेतो के सेढ़ो के संबध मे तनाजा एवं विवाद बना [illegible] है। कि प्रार्थी की खा[illegible] के

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 13:59:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

खेत खसरा नम्बर क्रमशः 104/39, 113/103 क्षेत्रफल क्रमशः 0.9712, 1.4570 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम ग्राम आकली पटवार हल्का बोरचारणान तहसील धोरीमन्ना इसी खेत मे स्थित मे प्रार्थी काश्त करते आ रहे है जबकि विप्रार्थीण हर समय प्रार्थीगण के सेढ़े का काट कर प्रार्थी के खेत घुस कर जबरदस्ती काश्त कर लेते है विप्रार्थी संख्या मे अधिक होने से अपने प्रभाव का ईस्तेमाल प्रार्थी के खेत मे दखलअन्दाजी करते रहते है कि जिसमे प्रार्थी के विप्रार्थीगण से स्थाई सीमा चिन्ह नही होने से प्रार्थी कच्चे नाप को नही मानकर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे है जिससे आपस मे हर समय झगड़ा होता रहता है इसलिए प्रार्थी के खेत के स्थाई सीमा चिन्ह कायम किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए कई बार हल्का पटवारी से निवेदन किया तथा सीमाज्ञान के लिए तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश किया जिसकी पालना में हल्का पटवारी ने मौके पर नाप के लिए बिन्दू ए कायम कर जरीब चालने का प्रयास किया तो पाड़ौसी खातेदारों की असहमति के कारण विवाद की स्थिति बन गयी और सीमज्ञान करने नही दिया इसलिए हल्का पटवारी ने विवाद अधिक होने के कारण नेखमबदी का आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत करने का सुझाव दिया जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त भूमि के पाड़ौसी खातेदार संख्या बल में अधिक होने तथा बाहुबलि एवं भू माफिया किस्म होने से नेखमबंदी का श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कि प्रार्थी नेखमबदी संबधी मौके पर नेखम उपलब्ध करने एवं नेखमबदी फीस अदा करने को तैयार है। तथा तहसीलदार धोरीमन्ना को कमीशनर नियुक्त करते हुए पुलिस ईमदाद के साथ पक्के नेखम स्थापित किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायचित है। कि विवादग्रस्त भुमि मौजा ग्राम आकली कला पटवार हल्का बोरचारणान तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमानजी के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है कि राजस्व आवेदन अन्तर्गत 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– रूपये का साथ पेश है। अतः श्रीमानजी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 104/39, 113/103 क्षेत्रफल क्रमशः 0.9712, 1.4570 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम ग्राम आकली पटवार हल्का बोरचारणान तहसील धोरीमन्ना की पक्की नेखमबंदी करवाने का ओदश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 15 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाऐ गये नोटिसों की मय डाक रसीदें व डिलीवर सुचना प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की, तथा विप्रार्थी संख्या 03 की अधिवक्ता रिड़मलराम चौधरी उपस्थित हुऐ तथा जवाब हेतू पूर्ण अवसर दिया गया लेकिन विप्रार्थी की ओर से कोई जवाब नही पेश नही किया गया, जिस पर विप्रार्थी का दिनांक 23.07.2024 को जवाब बन्द किया गया तथा नोटिस विधिवत तामील के उपरान्त भी हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 10.07.2024 को विप्रार्थी संख्या 1 से 02 तक व 4 से 14 तक विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाई के आदेश किए गए।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को विस्तार से सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली-भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसील धोरीमन्ना पटवार हल्का बोरचारणान के राजस्व ग्राम आकली के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 104/39, 113/103 क्षेत्रफल क्रमशः 0.9712,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 13:59:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

1.4570 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किय गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी खेत खसरा नम्बर क्रमशः 104/39, 11/103 क्षेत्रफल क्रमशः 0.9712, 1.4570 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

– : : आदेश : : –

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थी की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम आकली पटवार मण्डल बोरचारणान तहसील धोरीमन्ना के खाता संख्या 102 खसरा नम्बर क्रमशः 104/39, 113/103 क्षेत्रफल क्रमशः 0.9712, 1.4570 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर, सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे–खर्चे से ग्राम आकली पटवार मण्डल बोरचारणान तहसील धोरीमन्ना के खाता संख्या 102 खसरा नम्बर क्रमशः 104/39, 113/103 क्षेत्रफल क्रमशः 0.9712, 1.4570 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 13:59:17 IST
Reason: SelfAttested

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner